माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(Setup by Act.No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)
Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in

छात्रावास के निर्देश

1. छात्रावास में प्रवेश के समय विद्यार्थी को साथ लाने वाले आवश्यक दस्तावेज और सामान की सूची संलग्न है।
2. छात्रावास से बाहर रहने, स्थानीय अभिभावक के घर रूकने की लिखित अनुमति कार्यालयीन दिवसों में एक दिन पूर्व अपने विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर चीफ वार्डन के माध्यम से छात्रावास प्रभारी के पास जमा करवायें। अनुमति के अभाव में बाहर जाने एवं रूकने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
3. विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश है कि छात्रावास के समय का अनुपालन करें। बिना अनुमति देर से आने पर 100/– अर्थ देय होगा। पुनरावृत्ति होने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है।
4. छात्रावास में विद्याथियों की उपस्थिति रजिस्टर में निर्धारित समय पर स्वंय आकर उपस्थिति दर्शाना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लगातार अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जायेगी तथा 50/– रूपये अर्थदंड देय होगा।
5. छात्रावास में विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा परिचय कराये गये स्थानीय संरक्षक ,अभिभावक का पूरा नाम, पता, फोन नम्बर आदि के साथ फोटो देना अनिवार्य है।
6. छात्रावास में स्थान स्वंय के निवास हेतु तथा केवल शिक्षा अध्ययन के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक ,अवैधानिक कार्य सिगरेट, गुटका शराब आदि नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। छात्रावास परिसर में बाहर से भी नशा करके आना मना है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में लिप्त होने पर हॉस्टल प्रशासन द्वारा विद्यार्थी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी या छात्रावास से निकाला भी जा सकता है।
7. रहवासी विद्यार्थी अपना वाहन चिन्हित पार्किंग में ही खड़ा करेंगें
8. विद्यार्थियों को रहवासी क्षेत्र, पानी की टंकी, पॉवर प्लांट, जंगल झाडियों, केबल नालियों इत्यादि में जाना प्रतिबंधित है।
9. किसी भी प्रकार की पूर्व गम्भीर बीमारी के बारें चीफ वार्डन/प्रभारी को जानकारी देना आवश्यक है।
10. अपने सामान की हिफाजत रखना विद्यार्थी की स्वंय जिम्मेदारी है। किसी भी विद्यार्थी के रूपये, मोबाईल, घडी, कपडे आदि सामान गुम हो जाने पर छात्रावास प्रबधंक की कोई जिम्मदारी नहीं रहेगी।
11. छात्रावास के कमरे में पंखा, टयूबलाईट, बल्ब के अलावा अन्य विद्युत उपकरण जैसे–, इंडक्शन, पानी गर्म करने की रॉड इत्यादि का उपयोग करना सख्त मना है, उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करते जाने पर अर्थदंड 200/– तक देय होगा।
12. छात्रावास की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को पूरा हर्जाना देना होगा। सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी नहीं होने पर या अन्य विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर सभी विद्यार्थियों की कॉशनमनी से हर्जाने का रूपया काटा जायेगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. छात्रावास के कमरों, दीवार, अलमारी, खिड़की, दरवाजों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, लाईटिंग, स्केच बनाना, स्टीकर चिपकाना इत्यादि सख्त मना है। दीवाली, होली, रंगपंचमी आदि के समय हॉस्टल के कमरे, दीवार गंदी नहीं करें अन्यथा अर्थदंड 500/– देय होगा।
14. विद्यार्थियों को उपलब्ध करवायी गई अलमारी एवं लॉफ्ट की चाबी गुम हो जाने पर जुर्माना राशि रू. 250/– देय होगा।

5/7/24

(डॉ. सुनीता द्विवेदी)
चीफ वार्डन
नर्मदा कन्या छात्रावास

15. **पानी अमूल्य है अतः व्यर्थ न बहाएं।** पानी की जो भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, उसको मान्य करना होगा। सर्दियों में गर्म पानी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में उपलब्ध होगा। गर्मियों में पानी मार्च, अप्रैल, मई, जून प्रातः 7 से 10 बजे एवं शाम 5 से 7 बजे पर ही पानी की मोटर चालू की जायेगी। (यदि किसी कारणवश पानी की सप्लाई में दिक्कत होती है तो तत्कालीन व्यवस्था जो भी उपलब्ध होगी स्वीकार्य करना होगा। बाथरूम के नल एवं गीजर बन्द करना आवश्यक है।

16. रात्रि 11 बजे के बाद अपने कमरे , बालकनी आदि स्थानों पर तेज संगीत, नाच–गाना और शोर मचाना जिससे दूसरें कमरों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो दंडनीय है। उक्त निर्देश का पालन न करने पर अर्थ दंड रूपये 200/– प्रत्येक तक हो सकता है।

17. कमरे के बाहर जाते समय टयूबलाईट, पंखे, बन्द करके जाना अनिवार्य है अन्यथा कमरे के रहवासी विद्यार्थी को प्रतिदिन 100/– जुर्माना देना होगा।

18. गीले कपड़े फर्नीचर पर सुखाने की अनुमति नहीं है। बालकनियों में दी गई जगह पर ही कपड़े सुखाने की अनुमति होगी। अन्य जगह पर कपड़े सुखाये जाने पर राशि रू. 50/– जुर्माना देना होगा।

19 किसी भी विद्यार्थी द्वारा हॉस्टल के प्रबधंक/कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने पर हॉस्टल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह आपको हॉस्टल से निष्काषित कर दें।

20. किसी भी विद्यार्थी को कमरें में भोजन, चाय–नाश्ता आदि बनाने अथवा ले जाने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में टिफिन मंगवाने की सुविधा प्रतिबंधित है।

21. विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास प्रशासन द्वारा कक्ष में दिए गए सामान (पलंग, गद्दा, गद्दे का कवर, पर्दे, अलमारी, चाबी, स्टडी टेबल, कुर्सी, डस्टबिन इत्यादि) को उचित हालत में वापस करना अनिवार्य होगा। दिए गए सामान में कमी होने पर सामान का मूल्य छात्रावास मे जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

22. यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ता है तो उसे छात्रावास का पूरा त्रैमासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही कॉशनमनी वापस नहीं होगी।

23. छात्रावास त्रैमासिक शुल्क निर्धारित माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

24. **छात्रावास प्रशासन द्वारा छात्रावास से निष्कासन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है –**
    (1) विद्यार्थी ने यदि छात्रावास के उपरोक्त नियमों या संचालक मंडल की अवहेलना की हो।
    (2) विद्यार्थी ने या पालक/अभिभावक ने गलत जानकारी प्रस्तुत की हो।
    (3) नियमानुसार छात्रावास शुल्क नहीं जमा करने पर।
    (4) विद्यार्थी की उपस्थिति से अन्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो या विद्यार्थी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाये।
    (5) विद्यार्थी किसी अवांछित या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर।
    (6) ड्रग्स, सिगरेट, शराब, नशीली दवाई आदि के सेवन करने पर।

25. मेस संधारण सम्बन्धित सुझाव/शिकायतों के लिए छात्रावास में रजिस्टर उपलब्ध होगा। विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते है। किसी अन्य समस्या/शिकायत हेतु विद्यार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चीफ वार्डन को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

26. विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

27. कुलपति का निर्णय अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

5/7/24

(डॉ. सुनीता द्विवेदी)
चीफ वार्डन
नर्मदा कन्या छात्रावास